न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 247/2023 (जी.सी.एम.एस. 2023/303)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बलजीत कौर पत्नी सुरेन्द्र सिंह उर्फ सतविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 36 एस. नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू : 24.07.2023

उपस्थित : 1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

निर्णय दिनांक : 31.01.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 16 एस, पटवार हल्का 14 एस, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/30 में क्रम संख्या 6 पर सतविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह हिस्सा 211/1265 जाति रामगढ़िया निवासी 36 एस नग्गी अंकित है। सतविन्द्र सिंह का दिनांक 29.08.2018 को देहान्त हो चुका है। सतविन्द्र सिंह के स्वर्गवास के पश्चात उक्त कृषि भूमि उनके विधिक वारिसान के नाम जरिए नामान्तरण दर्ज होनी है। वादिया व उनकी सन्तानों के समस्त दस्तावेजात में उनके पति/पिता का नाम सतविन्द्र सिंह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह अंकित है। राजस्व अभिलेख में सतविन्द्र सिंह नाम दर्ज होने के कारण और वादी एवं अन्य वारिसान के दस्तावेज में सतविन्द्र सिंह का नाम सुरेन्द्र सिंह अंकित होने के कारण उक्त कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरण सुरेन्द्र सिंह के वारिसान के नाम दर्ज नहीं हो रहा है। इसलिए उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 एस, पटवार हल्का 14 एस, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/30 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम सतविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह के स्थान पर सतविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह नाम घोषित किया जाकर, उपरोक्तानुसार संशोधन करने हेतु डिक्री पारित की जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5281 दिनांक 04.10.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 16 एस, पटवार हल्का 14 एस, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33 में 0.211 हैक्टेयर भूमि सतविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि सुरेन्द्र सिंह व सतविन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 16 एस, पटवार हल्का 14 एस, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33 की प्रति, आधार कार्ड की छायापति, परिवार राशन कार्ड की छायापति, सुरेन्द्र सिंह के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के द्वारा चक 16 एस, पटवार हल्का 14 एस, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम सतविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह के स्थान पर सतविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में पति का नाम सुरेन्द्र सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि सुरेन्द्र सिंह व सतविन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 16 एस, पटवार हल्का 14 एस, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम सतविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह के स्थान पर सतविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
राहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
राहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6 7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

बअदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

बलजीत कौर बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 247/2023
निर्णय दिनांक :- 31.01.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 16 एस. पटवार हल्का 14 एस. तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 33/30 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम सतविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह के स्थान पर सतविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 31.01.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	
योग	04	00	**योग**	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांक: 31.01.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/14
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)